

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 85/2012

संस्थित दिनांक-27/03/12

फाइलिंग नं.-230303002882012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

### वि रू द्ध

- 1- सुधा रावत पति अरविंद आयु 39 साल  
निवासी बिरखडी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड
- 2- नंदकिशोर पुत्र करन सिंह आयु 45 साल  
निवासी ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा  
.....उपस्थित आरोपीगण
- 3- रामेन्द्र शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा आयु 55 साल  
निवासी ऑफीसर कालोनी गोहद, जिला भिण्ड.....फौत आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।

आरोपीगण द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 16 दिसंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपीगण श्रीमती सुधा रावत एवं नंदकिशोर उर्फ चिपांजी के विरुद्ध धारा-420/34, 467/34, 468/34 और 409/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप है, कि उन्होंने विचारण के दौरान फौत अभियुक्त रामेन्द्र शर्मा के साथ मिलकर दिनांक 12/03/10 से 31/10/10 की अवधि के मध्य दिनांक 18/03/10 को ग्राम बिरखडी आयोजित जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर की व्यवस्था हेतु सुधा रावत संरपंच रामेन्द्र शर्मा पी0सी0ओ0 (समनव्यक्त) और नंद किशोर सहित चिपांजी उनके साथी की हैसियत से टेंट कुर्सी टेबिल माइक जनरेटर इत्यादि के लिए वास्तविक रूप से खर्च हुई राशि 1900/-रुपए +700/-रुपए कुल 2600/-रुपए के बावजूद 10,000/-रुपए के बिल बाउचरों को कुटुरचित करके राज्य के साथ छल कारित किया तथा शासकीय राशि निजी रूप से प्राप्त करने के लिए 1900/-रुपए के स्थान पर सामग्री बढ़ाते हुए 6500/-रुपए का बिल, 700/-रुपए के स्थान पर जनरेटर शामिल कर 1800/-जोडकर कुल 10,000/-रुपए का लाभ देने के आशय से उन्हें स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से छल के प्रयोजन से तैयार कराया और लोकसेवक की हैसियत रखते हुए नयस्त राशि गबन कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि घटना अवधि में आरोपिया सुधा रावत ग्राम पंचायत बिरखडी की सरपंच थी, रामेन्द्र शर्मा पूर्व पंचायत सचिव रहा था, और समन्वयक था, फरियादिया श्रीमती ज्योती शर्मा तत्समय पंचायत सचिव थी, यह भी निर्विवादित है, कि दिनांक 18/03/10 को ग्राम पंचायत बिरखडी में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें जिला कलेक्टर भिण्ड नहीं आए थे, अन्य अधिकारी आए थे, यह भी स्वीकृत है, कि बचाव साक्षी कल्लू उर्फ कल्याण रावत आरोपिया सुधा रावत का देवर है, यह भी स्वीकृत है, कि अ0सा0-01 शिवनंदन और फरियादी ज्योती अ0सा0-06 पिता, पुत्री है, यह भी स्वीकृत है, कि कल्लू उर्फ कल्याण रावत के द्वारा इन्द्रा आवास योजना की अनुदान राशि हड़पने के संबंध में फरियादिया ज्योती शर्मा और उसके पिता की शिकायतें हुई थी, और उसकी जांच हुई थी, जिसमें ज्योती शर्मा निलंबित भी रही थी। बचाव साक्षी नेपाल आरोपी नंदकिशोर का उर्फ चिपांजी का सगा भाई है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि ग्राम पंचायत बिरखडी की पंचायत सचिव ज्योती शर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला भिण्ड को लिखित शिकायती आवेदनपत्र ग्राम पंचायत की सरपंच सुधारावत एवं पी0सी0ओ0 रामेन्द्र शर्मा एवं सहयोगी नंदकिशों उर्फ चिपांजी के विरुद्ध शासकीय राशि हड़पने के लिए फर्जी बिल बनाकर पेश करने के संबंध की पेश की, जिसकी एस0डी0ओ0 राजस्व गोहद के द्वारा जांच कराने पर यह माना कि ग्राम पंचायत बिरखडी में जिला स्तरीय लोककल्याण शिविर का दिनांक 18/03/10 को आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था हेतु सरपंच सुधारावत ने दस हजार रुपए अग्रिम लिए थे, शिविर के लिए दुर्गा टेंट हाउस से 30 कुर्सी डल्लभ की 70 फाइवर की कुर्सी 15 गुण 30 की पंढाल, चार टेबिल, दो सफेदी, आने-जाने का भाडा एवं लेबर चार्ज सहित 1900/-रुपए में तय था, एवं प्रीतम साउण्ड सर्विस गोहद से शिविर के लिए एक माइकसेट 700/-रुपए में तय किया था, जिसका कुल वास्तविक खर्चा 2,600/-रुपए हुआ था, और शिविर कैसिल हो गया था, किंतु उक्त तीनों आरोपीगण ने दुर्गा टेंट हाउस के मालिक कैलाश से कोरा बिल फार्म उसके हस्ताक्षर करवा कर ले लिया और उसमें आपस में मिलकर 6,500/-रुपए का फर्जी बिल बना लिया, तथा प्रीतम साउण्ड सर्विस के मालिक हरजीत से भी आरोपिया सुधा एवं नंदकिशोर ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा के माइकसेट के साथ-साथ जनरेटर का भी 1800/-रुपए का बिल फर्जी तौर पर जोड़ दिया, जबकि शिविर में जनरेटर गया ही नहीं था, न ही हरजीत जनरेटर रखता था, इसके अलावा पूरा सामान टूसीटर क्रमांक एम0पी0-07-एल-0155 से गया था, परंतु ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0-30-एम-1049 के मालिक नेपाल के नाम से आरोपीगण ने मिलकर एक हजार रुपए का फर्जी बिल तैयार करा लिया, इस प्रकार से शिविर के लिए वास्तविक खर्चा 2,600/-रुपए हुआ, किंतु तीनों आरोपीगण ने फर्जी बिल बनाकर 10,000/-रुपए का बिल पेश कर के 7,400/-रुपए शासकीय राशि हड़पने के लिए तैयार कर पंचायत सचिव को समायोजन हेतु प्रदान किए।
4. एस0डी0ओ0 राजस्व गोहद द्वारा जांच उपरांत थाना प्रभारी गोहद चौराहे को आरोपीगण के विरुद्ध जांच के आधार पर धारा-409, 420, 467, 468 भा0द0वि0 के तहत अपराध कारित करना मानते हुए इस संबंध में रिपोर्ट

पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने हेतु प्र०पी०-०४ की जांच आधारित लेखीय रिपोर्ट पंचायत सचिव श्रीमती ज्योती शर्मा के द्वारा भेजी गई जिसके साथ सरपंच की ओर से प्रस्तुत किए गए फर्जी बिलों को सामायोजित करने बाबत मुख्यकार्यपालन अधिकारी को लिखा गया पत्र दिनांक 14/06/10, तीनों फर्जी बिल, दुर्गा टेंट हाउस का 1900/-रुपए का वास्तविक बिल, साचिव द्वारा सरपंच को लिखा गया पत्र और सचिव द्वारा दिया गया जबाव, जांच कथन सरपंच सुधा रावत द्वारा प्राप्त की गई 10,000/-रुपए की अग्रिम राशि की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गई, लेखीय रिपोर्ट की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड को भी प्रेषित की, मूल प्रति पंचायत सचिव श्रीमती ज्योती शर्मा द्वारा दिनांक 31/10/10 को थाना गोहद चौराहे पर ले जाकर पेश की जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 165/10 धारा-409, 420, 467, 468 भा०द०वि० के तहत प्र०पी०-०२ की एफ०आई०आर० पंजीबद्ध करते हुए विवेचना ए०एस०आई० बी०एल० बंसल के सुपुर्द की, जिसमें अनुसंधान में पंचायत सचिव ज्योती शर्मा से प्र०पी०-०१ के जब्तीपत्रक मुताबिक, दुर्गा टेंट हाउस का मूल बिलकट्टा प्र०पी०-०३ मुताबिक तथा पी०सी०ओ० रामेन्द्र शर्मा से प्र०पी०-८ मुताबिक दस्तावेजों को जब्त किया और अनुसंधान में जब्त किए गए दस्तावेजों के लेख हस्ताक्षरों के नमूने आदि लेकर राज्य परीक्षक पी०एच०क्यू० भोपाल से जांच कराई जाकर उसकी रिपोर्ट को प्राप्त कर बाद विवेचना आरोपीगण को प्र०पी०-१३ लगायत प्र०पी०-१५ के गिरफ्तारी पत्रकों के माध्यम से गिरफ्तार कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. जे०एम०एफ०सी०, गोहद मनीष शर्मा, द्वारा प्रकरण उपापित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण पर धारा-420/34, 467/34, 468/34 और 409/34 भा०द०वि० के तहत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में पूर्व की रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लेते हुए बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया और निसार खां को ब०सा०-०१, नेपाल शर्मा ब०सा०-०२, कल्याण रावत ब०सा०-०३ एवं रामवीर ब०सा०-०४ को बचाव साक्षी के रूप में पेश किया है।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या, आरोपीगण ने दि० 18/03/10 को ग्राम बिरखडी में आयोजित जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर की व्यवस्था हेतु शासकीय राशि छल द्वारा हड़पने के लिए आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया ?

2- क्या, आरोपीगण ने उक्त लोक कल्याण शिविर के लिए दुर्गा टेंट हाउस के वास्तविक बिल 1,900/-रुपए के स्थान पर 6500/- रुपए का और प्रीतम साउण्ड सर्विस का वास्तविक बिल 700/-रुपए के स्थान पर 2500/-रुपए का उक्त सामान्य आशय की पूर्ति में कूट रचना कर तैयार किए ?

3- क्या, आरोपीगण ने कूटरचित 10,000/-रुपए राशि का उपरोक्त बिल बेईमानी पूर्वक राज्य के साथ छल करने के प्रयोजन से तैयार किया।

4- क्या, आरोपी श्रीमती सुधा रावत और पी0सी0ओ0 रामेन्द्र शर्मा ने सहअभियुक्त नंदकिशोर के साथ मिलकर लोक सेवक रहते हुए शासकीय राशि में गबन कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया।

**—::—निष्कर्ष के आधार ::—**

**—::— विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1 व 4 —::—**

8. सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये चारों विचारणीय विन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
9. अभियोजन कथानक मुताबिक आरोपीगण के द्वारा दुर्गा टेंट हाउस के मालिक कैलाश से कोरा बिल लेकर 6500/-रुपये का तैयार कर लेना बताया गया है जबकि वास्तव में टेंट हाउस का बिल केवल 1900/-रुपए का था, अभिलेख पर 1900/-रुपए का बिल आर्टिकल F के रूप में पेश हुआ है, और कूटरचित बताया गया 6500/-रुपए का बिल आर्टिकल H के रूप में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, आर्टिकल F का बिल राकेश कुशवाह द्वारा दिनांक 12/03/10 को दिया जाना आर्टिकल F से प्रकट होता है, किंतु प्रकरण में उक्त बताए गए वास्तविक बिल की पुष्टि हेतु राकेश कुशवाह को न तो जांच में शामिल किया गया है, न ही अभियोजन साक्षी बनाया गया है, इस संबंध में घटना के विवेचक ए0एस0आई0 बी0एल0 बंसल अ0सा0-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-08 में यह स्वीकार किया है, कि एस0डी0एम0 गोहद के द्वारा जो जांच प्रतिवेदन दिया गया था उसी को आधार मानकर उसने संपूर्ण अनुसंधान किया था, और उस प्रतिवेदन में जिन-जिन लोगों के नाम थे उनके ही कथन लिए थे, शिविर में उपस्थित स्वतंत्र व स्वभाविक साक्षियों के कथन उसने नहीं लिए थे, ग्राम पंचायत के सदस्य ग्रामीण जन के कथन नहीं लिए थे, कि शिविर वास्तव में लगा या नहीं और किस स्तर का था तथा क्या सामग्री उपयोग हुई यह भी स्वीकार किया है, कि सरपंच के द्वारा भी सचिव द्वारा परेशान करने की शिकायतों की गई थीं, विवेचक ने यह भी स्वतः कहा कि सरपंच पक्ष के लोगों की सचिव पक्ष के लोगों द्वारा पूर्व में मारपीट भी की गई थी।
10. विवेचक बी0एल0 बंसल अ0सा0-12 आर्टिकल 'F' के संबंध में अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-13 में बताता है, कि आर्टिकल F का बिल सचिव ज्योती शर्मा द्वारा एस0डी0ओ0 को दिया गया था, उस बिल के बारे में हस्ताक्षर करने वाले राकेश का उसने बयान नहीं लिया था, बल्कि टेंट हाउस के मालिक कैलाश का बयान लिया था, और पैरा-14 में विवेचक का यह भी कहना है, कि दुर्गा टेंट हाउस के मालिक द्वारा उसे बताया था, कि ज्योती उससे कोरा बिल ले गई थी, उसने आर्टिकल F के 1900/-रुपए वाले बिल का विवरण किसके द्वारा लिखा गया इस बारे में हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच नहीं कराई न जांच कराने का मत लिया, यह स्वीकार किया है, कि आर्टिकल F के बिल का विवरण आरोपी सुधा



रावत व रामेन्द्र की हस्तलिपि में नहीं है, किसकी हस्तलेख में है, यह उसे पता नहीं है, पैरा-15 में उसने यह भी स्वीकार किया है, कि एस0डी0ओ0 गोहद तथा सचिव ज्योती शर्मा द्वारा दिए गए कथनों का समर्थन अनुसंधान में कैलाश व हरजीत ने नहीं किया था, विवेचक ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-16 में अनुसंधान के दौरान बताए गए टूसीटर वाले की तलाश करने पर उसका न मिलना कहा है, जबकि जिस टूसीटर से शिविर में लगने वाले सामान को पहुंचाया जाना फरियादी श्रीमती ज्योती शर्मा अ0सा0-06 ने बताया है, उस टूसीटर के मालिक निसार खां जो स्वयं उसे चलाता है, उसने सामान ले जाने से इन्कार कर अभियोजन का खण्डन किया है, ऐसे में विवेचक द्वारा अनुसंधान पूर्ण निष्ठा से किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि टूसीटर वाला वार्ड नंबर-04 गोहद का ही निवासी है तलाशने पर मिल सकता है, ऐसे में विवेचना की कार्यवाही केवल प्र0पी0-04 पर आधारित रहा जाना परिलक्षित होती है और अंततः विवेचक ने भी तत्कालीन एस0डी0ओ0 गोहद के दबाब को स्वीकार किया है।

11. एस0डी0ओ0 गोहद एस0के0 दुबे अ0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य के अंत में इस बात को स्वीकार किया है, कि ग्राम बकनास में हुए एनकाउन्टर की मजिस्ट्रीयल जांच उसके द्वारा की गई थी और विवेचक ने भी पैरा-18 में अंत में स्वीकार किया है, बकनासा में पुलिस मुठभेड़ में चार डकैत मारे गए थे, जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच उक्त एस0डी0ओ0 द्वारा की जा रही थी जिसका उस पर दबाब था, दबाब इस बात से भी झलकता है, कि विवेचक ने एस0डी0ओ0 की प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट जिस पर पूरा मामला आधारित है, उसके तथ्यों के संबंध में आरोपी नंदकिशोर के नाम का उल्लेख हरजीत के प्र0डी0-02 के कथन में न आने के बावजूद लिखित व मौखिक रूप से नहीं मांगा, ऐसे में अन्य तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता हो जाती है।

12. सचिव ज्योती शर्मा के शिकायती आवेदन पर जांच करने वाले तत्कालीन एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे अ0सा0-04 के द्वारा की गई जांच में आर्टिकल F' के बिल के संबंध में राकेश कुशवाह को कोई जांच कथन लिया हो, ऐसा नहीं बताया है, जिन दस्तावेजों की अनुसंधान के दौरान अतिरिक्त राजकीय दस्तावेज परीक्षक आर0पी0 पाठक अ0सा0-10 से जांच कराई गई उसके संबंध में हस्तलेख विपेशज्ञ के द्वारा प्रश्नगत बिल Q-01 लगायत Q-03 के रूप में चिन्हित किए हैं, Q-01 आर्टिकल H के रूप में साक्ष्य में लिया गया 6500/-रुपए का वह दुर्गा टेंट हाउस का बिल है, जिसे कथानक में आरोपीगण द्वारा कूटरचित तैयार कर लिया जाना बताया है, जो टेंट हाउस के मालिक कैलाश कुशवाह से कौरे बिल पर हस्ताक्षर कराके आरोपीगण द्वारा प्राप्त किया गया था, Q-02 के रूप में माइकसेट व जनरेटर का कूटरचित बिल सादे कागज पर माइकसेट के मालिक हरजीत के हस्ताक्षर कराके आर्टिकल के रूप में प्राप्त करने का आक्षेप किया गया है, और Q-03 का भाडा संबंधी ट्रेक्टर ट्राली का आरोपी नंदकिशोर के भाई नेपाल शर्मा से बनबाया कूटरचित बिल बताया गया है, जिसे आर्टिकल J के रूप में चिन्हित किया गया है, अर्थात 1900/-रुपए का आर्टिकल F वाला बिल हस्तलेख विपेशज्ञ की जांच रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए आर्टिकल F' और H जो दोनों ही टेंट हाउस से संबंधित है, उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है, ऐसे में आर्टिकल 'F' और 'H' के संबंध में

मौखिक साक्ष्य और परिस्थिति पर से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता हो जाती है।

**13.** आर्टिकल 'F' पर हस्ताक्षर करने वाले का साक्ष्य न लेना और अभियोजन साक्षी न बनाना उसके संबंध में अन्य साक्ष्य को सावधानी से मूल्यांकित करने पर बल देता है, निर्विवादित रूप से दुर्गा टेंट हाउस का मालिक कैलाश कुशवाह है और राकेश उसका पुत्र है, आर्टिकल 'F' का 1900/-रुपए का बिल जिसे वास्तविक बताया जा रहा है, उसके संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क कि बिल में जो सामग्री का उल्लेख किया गया है, वह किस दर से किराए पर दी गई इसका विवरण नहीं है, सम्मिलित रूप से 1900/-रुपए का बिल जिसमें आने जाने का भाड़ा और लेबर चार्ज शामिल होना बताया गया उस पर ग्राहक के रूप में किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही मार्फतदार के रूप में किसी के हस्ताक्षर हैं, इसलिए वह बिल झूठा है, और सचिव ने किस आशय से प्राप्त किया यह देखा जाए, जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है, कि आर्टिकल 'F' वास्तविक बिल था, और टूसीटर से सामान गया था, आर्टिकल 'H' का बिल कूटरचित करके बनाया गया है।

**14.** आर्टिकल "F" में लाल स्याही से उल्लेखित विवरण किसके द्वारा लेख किया गया, इस बारे में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, और उसे प्रमाणित करने के लिए राकेश कुशवाह को साक्षी के तौर पर पेश किया जाना अभियोजन के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वही इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य दे सकता था, कि बिल उससे कौन बनवा कर ले गया। अभियोजन के मामले का आधार एस0डी0ओ0 राजस्व गोहद की प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट है जिसके प्रथम पैरा में 1900/-रुपए का बिल दुकान के मालिक कैलाश के पुत्र राकेश ने बनाया था, जिसे एस0डी0ओ0 गोहद द्वारा सही व वास्तविक अपनी जांच में माना, किंतु किस आधार पर माना, इस बारे में एस0डी0ओ0 एस0के0 दुबे अ0सा0-04 की स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, उनके द्वारा अपनी जांच में राकेश को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जांच प्रतिवेदन के साथ जो 11 दस्तावेज संलग्न किए गए, उसमें भी राकेश का कथन संलग्न नहीं है, उसके पिता कैलाश का कथन अवश्य संलग्न किया गया है।

**15.** इस संबंध में दुर्गा टेंट हाउस के मालिक कैलाश के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो, कैलाश अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी सुधा रावत और रामेन्द्र को जानना नंदकिशोर और सचिव ज्योती शर्मा को नहीं जानना बताते हुए, यह साक्ष्य दी है, कि ग्राम पंचायत बिरखडी की संरपंच सुधा रावत ने उसके यहां से टेंट का सामान जिसमें 60X60 की पंडाल, 200 कुर्सीयां, 50 टेबिले, 10 फर्स, 25 सफेदी को किराए पर लिया था, जिसके एवज में 6500/-रुपए सुधा रावत द्वारा दिए गए थे, जिसमें से एडवांस के रूप में उसे 1000/-रुपए दिए गए थे, और सामान वापिसी पर 5500/-रुपए दिए गए थे जिसका उसने सुधा रावत को बिल दिया था, जो बिल छपे फार्म पर उसके द्वारा भर कर दिया गया था, जिसे साक्षी ने पैरा-04 में आर्टिकल H वाला बिल बताया है और अपनी हस्तलिपि में बताया है, तथा रशीदी टिकट क्रोस करना बताया है, सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर करना बताया है, रशीदी टिकट पर हस्ताक्षर न करने का भी

स्पष्टीकरण दिया है, कि जल्दी में वह नहीं कर पाया था, इस तरह से उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन के मूल कथानक मुताबिक टेंट हाउस के सामान व बिल को लेकर किए गए आक्षेपों का खण्डन किया है।

**16.** कैलाश अ0सा0-07 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति सूचक प्रश्न भी पूछे गए, पक्षविरोधी साक्षी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ0 **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 ए0आई0आर0 1991 सुप्रीम कोर्ट पैज 185** में यह मार्ग दर्शित किया है, कि यदि पक्षविरोधी साक्षी के अभिसाक्ष्य में किसी बिन्दु पर पुष्टि होती है, तो उतने बिन्दु पर साक्ष्य को ग्रहण किया जा सकता है और साक्षी को विश्वसनीय माना जा सकता है, जैसा कि विद्वान ए 0जी0पी0 का तर्क भी है, जो कि पूर्णतः सर्वमान्य सिद्धांत है, इस दृष्टि से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य को देखा तो उसमें पैरा-03 में यह स्वीकार किया है, कि उसका लडका राकेश भी दुकान पर बैठता है और उसकी अनुपस्थिति में ग्राहकों को सामान का लेन देन करता है, आर्टिकल 'F' का बिल भी उसकी दुकान का है, किंतु पैरा-04 में उसने इस बात से इन्कार किया है, कि दिनांक 12/03/10 को उसकी नजर में उसकी दुकान से ग्राम पंचायत बिरखडी के कार्यक्रम के लिए 30 कुर्सी डल्लभ की, 70 कुर्सी फाइबर की, 15 X 30 का एक पण्डाल, 4 टेबिलें, 30 सफेदी मय लेबर व भाडे के 1900/-रुपए में गई थीं, उक्त साक्षी ने टेंट का सामान टूसीटर से जाने की पुष्टि भी नहीं की है, बल्कि पैरा-05 में ट्रेक्टर ट्राली से भरकर शिविर में लगाया गया टेंट का सामान ले जाना बताया है जैसा कि बचाव पक्ष का आधार है और जिसके संबंध में नेपाल शर्मा ब0सा0-02 का कथन कराया गया है, जिसने टेंट का सामान माइकसेट जनरेटर आदि ट्रेक्टर ट्राली से 1000/-रुपए भाडे पर ले जाना बताते हुए, ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन प्र0डी0-11 ले जाने वाले ड्राइवर निसार खां को बताया है, नेपाल शर्मा ने अपना आधार कार्ड भी प्र0डी0-12 के रूप में इस बात की पुष्टि के लिए पेश किया है, कि वह ट्रेक्टर का मालिक होकर ग्राम बिरखडी का ही निवासी है, जिसकी पुष्टि अ0सा0-07 से भी हो रही है।

**17.** कैलाश अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात से भी इन्कार किया है, कि प्र0पी0-05 का कथन उसने तत्कालीन एस0डी0एम0 को दिया था, बल्कि यह कहा है, कि एस0डी0एम0 साहब ने उसे जेल में बंद करने की धौंस देकर हस्ताक्षर प्र0पी0-05 पर करा लिए थे और 1900/-रुपए का बिल बनाने की धौंस दी थी, इस बात से इन्कार किया है, कि आरोपीगण के दबाव प्रभाव व प्रलोभन में आकर आरोपीगण को बचाने के लिए आर्टिकल H का बिल बाद में तैयार करके देना वह बता रहा है, उसने इस बात से इन्कार किया है, कि आर्टिकल 'F' का बिल जो उसके पुत्र के हस्ताक्षर युक्त है, वह वास्तविक और सही है, पैरा-06 में उसने यह भी कहा है, कि आर्टिकल 'F' में वर्णित सामान उसकी दुकान से नहीं गया था, और आर्टिकल 'F' का बिल उसके लडके से कोन ले गया यह उसका लडका ही बता सकता है, साक्षी ने यहां तक आक्षेप किया है, कि बिल का कट्टा एस0डी0एम0 गोहद एस0के0 दुबे ने उसकी दुकान से मंगवाया और उसी में से काट दिया, इस संबंध में अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते समय उल्लेख किया जाएगा।

**18.** अ0सा0-07 ने पैरा-06 में यह भी कहा है, कि उसका टेंट हाउस का सामान श्री व्हीलर से नहीं जा सकता है, न उसने भेजा था और उसके द्वारा आर्टिकल H में वर्णित सामान ट्रेक्टर से भेजकर लगवाया गया है, साक्षी ने यह भी आक्षेप किया है, कि एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे ने उसे कई बार धोंस दी थी, कि 6500/-रुपए वाले आर्टिकल H का बिल देने वाली बात से मान कर देना, साक्षी ने पुलिस कथन प्र0डी0-01 का ए से ए भाग का बयान देने से भी इन्कार किया है, इस प्रकार से उक्त साक्षी पूर्णतः पक्षविरोधी होकर अभियोजन के किसी भी बिन्दु का समर्थन नहीं कर रहा है, ऐसे में ऊपर वर्णित न्याय दृ0 अभियोजन को लाभ नहीं पहुंचाता है, हालांकि यह सही है, कि अ0सा0-07 में न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जो तथ्य बताए हैं, उनके संबंध में कहीं कोई शिकायत की हो ऐसा अभिलेख पर नहीं आया है, किंतु धमकी का आक्षेप तहसील स्तर के वरिष्ठ अधिकारी पर है, ऐसे में साक्षी के द्वारा एस0डी0एम0 के विरुद्ध कोई शिकायत न करना महत्व नहीं रखता है और अ0सा0-07 से अभियोजन को कोई भी समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि बचाव पक्ष के आधारों को बल मिलता है।

**19.** आर्टिकल 'F' के जिस बिल को अभियोजन सत्य बताकर आया है, जिसके पृष्ठ भाग में टूसीटर नंबर एम0पी0-07-एल-0155 का उल्लेख है, कथानक मुताबिक टूसीटर से ही टेंट का सामान वास्तविकता में जाना बताया है, जैसा कि फरियादिया ज्योती शर्मा अ0सा0-06 ने अभिसाक्ष्य भी दिया है और उक्त टूसीटर से ही शिविर में टेंट का सामान और माइकसेट जाना कहा, जिसका खण्डन उक्त वाहन के स्वामी निसार खां ब0सा0-01 के अभिसाक्ष्य से होता है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में एम0पी0-07-एल-0155 टूसीटर न होकर लोडिंग गाडी होना बताया है, जिसका वह स्वामी है और स्पष्ट रूप से उसका कहना है, कि टेंट का पाइप उसकी गाडी से नहीं गया, क्योंकि पाइप बड़े होते तथा उसकी लोडिंग गाडी श्री व्हीलर है, जो 4X4 की रहती है और वर्ष 2006 से उसके पास है, जो जिसे वह स्वयं चलाता है और वह कभी भी ग्राम पंचायत बिरखडी में टेंट का सामान, माइक जनरेटर आदि लेकर नहीं गया है, क्योंकि उसकी गाडी में टेंट हाउस का सामान बन ही नहीं सकता है, साक्षी ने प्र0डी0-09 के रूप में अपना ड्रायविंग लाइसेंस और प्र0डी0-10 के रूप में लोडिंग गाडी का रजिस्ट्रेशन पेश किया है, तथा यह स्पष्ट किया है, कि ज्योती शर्मा यदि उसके वाहन से बिरखडी में टेंट हाउस का सामान ले जाना बताती है, तो वह गलत है, इससे भी आर्टिकल 'F' के बिल की विश्वसनीयता खण्डित होती है, क्योंकि उसके पृष्ठ भाग में उक्त वाहन का क्रमांक टूसीटर के रूप में लिखा है, जबकि प्र0डी0-10 से उक्त वाहन ब0सा0-01 का होना स्पष्ट होता है और ब0सा0-01 फरियादी का कोई सामर्थन नहीं करता है ब0सा0-01 के अभिसाक्ष्य के पैरा-03 में केवल यह तथ्य कि वह आरोपीगण के कहने पर बयान देने आया है, इससे वह असत्य साक्षी नहीं हो जाता है, क्योंकि उसने आरोपीगण के सिखाए व बताए अनुसार बयान देने से इन्कार किया है।

**20.** बचाव साक्षी के संबंध में न्याय दृ0 मनीष कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2009 किमीनल लॉ जनरल पैज 115 में यह



सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की भांति ग्रहण किया जाना चाहिए और बचाव साक्षी पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, कि वह बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जो ब0सा0-01 व ब0सा0-02 के संबंध में लागू होता है, क्योंकि उनके द्वारा प्र0डी0-09 लगायत प्र0डी0-12 के जो दस्तावेज पेश किए गए, उनके आधार पर बचाव साक्षियों के अभिसाक्ष्य में विधिक बल है और टेंट हाउस के मालिक अ0सा0-07 के अभिसाक्ष्य से भी उसका समर्थन होता है, और विवेचक बी0एल0 बंसल अ0सा0-12 ने जो तथ्य अपने अभिसाक्ष्य में प्रकट किए हैं, उससे भी घटना से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य साक्षीगण के अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है।

**21.** माइकसेट वाले दुकानदार हरजीत से संबंधित Q-03 अर्थात् आर्टिकल I के 2500/-रुपए बिल को भी प्र0पी0-09 की लेखीय शिकायत जिसमें ज्योती शर्मा ने यह उल्लेख किया था, कि प्रीतम साउण्ड वाले से माइकसेट मय बेटरी आया था, जनरेटर नहीं था, न जनरेटर चला, किंतु बिल में जनरेटर भी लिख दिया, जिस पर से उसे कूटरचित बिल बताया गया, ज्योती शर्मा अ0सा0-06 ने माइकसेट 700/-रुपए भाड़े पर जाना कहा, इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी हरजीत अ0सा0-09 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने सदर बाजार गोहद में अपनी दुकान बताई है, और मुख्यपरीक्षण में यह कहा है, कि बिरखडी में एक कार्यक्रम के लिए आरोपी नंदकिशोर उर्फ चिपांजी व एक अन्य व्यक्ति उससे माइकसेट भाड़े पर लेकर गए थे उस समय दो सौ रुपए उसे दिए थे पांच सौ रुपए माइकसेट वापिस करते समय दिए थे, उस समय नंदकिशोर ने एक सादा कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे और कहा था, कि रशीद हम बना लेंगे, तो उसने विश्वास करके सादा कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिए थे, जिसके संबंध में एस0डी0एम0 गोहद द्वारा उसका बयान लिया गया था, तब उसने आर्टिकल I की रशीद कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके देना बताया था और यह भी कहा था, कि जनरेटर उसकी दुकान पर मिलते नहीं हैं, जनरेटर उसने किराए पर नहीं दिया था, किंतु पैरा-02 में प्रतिपरीक्षण में वह अपने उक्त अभिसाक्ष्य पर पूर्णतः स्थिर नहीं है और यह कहता है, कि हर किसी को वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके नहीं देता हैं।

**22.** हरजीत अ0सा0-09 ने पैरा-02 में यह स्वीकार किया है, कि बिरखडी में हुए कार्यक्रम में जनरेटर गया था, लेकिन उसका नहीं दूसरे का गया था, और उसका व जनरेटर वाले के भुगतान का हवाला आर्टिकल I के बिल में होना बताते हुए, आरोपीगण के भुगतान कर दिया जाना कहा है, वह ज्योती शर्मा और एस0डी0एम0 एस0 के0 दुबे को नहीं जानता है, उसने एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे को दिए बयान में लाउडस्पीकर ऑटो से ले जाने नहीं बताया था, उससे आरोपी रामेन्द्र ने कोई बिल नहीं बनवाया था, नंदकिशोर उससे पहले भी माइकसेट ले जा चुका था, इसलिए वह उसे पहले से जानता था, ऐसा पैरा-03 में उसका कहना है, संभवतः इसी कारण वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके दे देना भी कहता है, अंत में उसने एस0डी0एम0 दुबे द्वारा इस आशय की धौंस देना कहा है, कि वे जो कहें वैसा कहना पड़ेगा और वे जहां हस्ताक्षर करने को कहें वहां हस्ताक्षर करना होगा, यह भी कहा है, कि एस0डी0एम0 गोहद के

अधिकारी थे, इसलिए वह उनके दबाब से डर गया था।

**23.** इस तरह से माइकसेट वाला हरजीत अ0सा0-09 अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं जनरेटर दुकान पर रखने या शिविर के लिए देने से तो इन्कार करता है, किंतु कार्यक्रम में जनरेटर जाना वह अवश्य स्वीकार करता है, जो दूसरे का गया था, बचाव पक्ष का भी यह तर्क है, कि कई बार दुकानदार एक दूसरे का सामान बुक करके भेजते हैं, इसलिए जिला स्तरीय शिविर में ग्रामीण क्षेत्र में जहां लाइट की किल्लत होती है, वहां जनरेटर का जाना स्वभाविक है, उक्त साक्षी हरजीत को प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा से भिन्न तथ्य बताए जाने पर, न तो पुनः परीक्षित किया गया, न ही साक्षी को एस0डी0एम0 दुबे के बताए गए दबाब या दूसरे का जनरेटर जाने के तथ्य बाबत पक्ष विरोधी घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई, ऐसे में उक्त साक्षी अभियोजन पर बंधनकारी प्रभाव रखता है, प्र0पी0-09 ज्योती शर्मा की लेखीय शिकायत है, जिसमें वह स्वयं एस0डी0एम0 को शिकायत करने के पूर्व जांच कर लेना बताते हुए, यह कहती है, कि साउण्ड वाले ने उससे कहा था, कि उसके यहां जनरेटर नहीं है, तो कहां से दे दिया, ऐसा ही प्र0पी0-04 में एस0डी0एम0 दुबे द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है, किंतु प्र0पी0-04 में यह आक्षेप किया गया है, कि प्रीतम साउण्ड सर्विस से सुधा रावत एवं नंदकिशोर कोरे कागज पर हरजीत के हस्ताक्षर करा के ले गए थे, केवल एक माइकसेट लगा था, किंतु रामेन्द्र शर्मा ने जो फर्जी बिल बनवाया उसमें माइकसेट के 700/-रुपए के साथ-साथ एक जनरेटर का 1800/-रुपए का बिल भी जोड़ दिया, जबकि हरजीत पर जनरेटर नहीं था, न गया था।

**24.** इस प्रकार से माइकसेट और जनरेटर संबंधी आर्टिकल I का बिल कूटरचित किया जाना रामेन्द्र शर्मा द्वारा बताया गया है, षण्यंत्र में सुधा रावत और नंदकिशोर का शामिल रहना बताया गया, किंतु आर्टिकल I के बिल के हस्तलेख की जो जांच अतिरिक्त राजकीय दस्तावेज परीक्षक आर0पी0 पाठक अ0सा0-10 के द्वारा कराई गई, उसमें नमूना हस्ताक्षर केवल सुधा रावत के ही मार्क एस-01 लगायत एस-15 लिए गए, रामेन्द्र के नमूना हस्ताक्षर जांच में मिलान हेतु नहीं लिए गए हैं और आर्टिकल I का बिल रामेन्द्र द्वारा तैयार किया गया, ऐसा किसी ने स्वयं नहीं देखा है, फरियादी श्रीमती ज्योती शर्मा अ0सा0-06 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-43 में इस बात को स्वीकार किया है, कि उसने रामेन्द्र को बाउचर बनाते नहीं देखा और उसने यह भी स्वीकार किया है, कि नंदकिशोर पंचायत में किसी पद पर नहीं है, तथा उसे बाउचर हस्ताक्षर करने के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जांच कर्ता एस0डी0 एम0 एस0के0 दुबे अ0सा0-04 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-16 में नंदकिशोर को कोरा बिल लिए जाने के आधार पर अभियुक्त बनाया जाना कहा है और यह स्वीकार किया है, कि वह पंचायत में किसी पद पर नहीं था, फर्जी बिल किसकी हस्तलिपि में है, इसकी उसने कोई जांच नहीं की, मौखिक कथनों में रामेन्द्र का नाम आया था, जिसकी उसने अलग से कोई जांच नहीं की थी, इस तरह से 2500/-रुपए माइकसेट और जनरेटर का आर्टिकल I के बिल या बाउचर के बाबत सुदृढ़ साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, और हरजीत का पुनः परीक्षण न होना और पक्षविरोधी अभियोजन द्वारा घोषित न किए जाने से उसके अभिसाक्ष्य के संबंध में

न्याय दृष्टांत राकेश विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2005 भाग-2 एम. पी.डब्ल्यू.एन. शॉर्ट नोट-46 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, कि साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने पर उसे पक्ष विरोधी घोषित न करने से साक्षी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का वर्णन अभियोजन पर आबद्धकर हो जाता है।

**25.** इस प्रकार से हरजीत के अभिसाक्ष्य से भी अभियोजन के आक्षेप को बल प्राप्त नहीं होता है और जहां तक ट्रेक्टर से सामग्री ले जाने के भाड़े के 1,000/-रुपए के आर्टिकल J के बिल का प्रश्न है, जिसे हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट में Q-03 से चिन्हित किया गया था और उसके संबंध में सुधा रावत के ही नमूना हस्ताक्षर जांच में लिए गए, लेकिन आर्टिकल I का प्रश्नगत बिल या बाउचर किसकी हस्तलिपि में है, इस बाबत न तो एस0डी0एम0 द्वारा की गई जांच में कोई तथ्य आए है, न ही अनुसंधान में इस बाबत किसी व्यक्ति को साक्षी बनाया, हालांकि यह सही है, कि ट्रेक्टर का बिल देने वाले नेपाल शर्मा ब0सा0-02 आरोपी नंदकिशोर का सगा भाई होकर हितबद्ध है, किंतु जो सामग्री जिला स्तरीय शिविर के लिए स्वभाविक रूप से आवश्यक होती है, उसे टूसीटर (तीन पहिए वाला ऑटो) से ले जाया जाना संभव नहीं है, जैसा कि साक्ष्य में आ चुका है और एस0डी0एम0 द्वारा भी टूसीटर वाले का कोई कथन न लेना उसकी जांच की निष्पक्षता को प्रश्नगत करता है।

**26.** विवेचक बी0एल0 बंसल अ0सा0-12 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह माना है, कि पंचायत सचिव ज्योती शर्मा, एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे, द्वारा जो पुलिस कथन दिए गए थे, उनका समर्थन टेंट हाउस वाले कैलाश और माइकेसट वाले हरजीत द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे में ज्योती शर्मा अ0सा0-06 और एस0के0 दुबे अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बचाव पक्ष ने पूर्व की राजनैतिक एवं अन्य रंजिश के आधार पर उक्त दोनों साक्षियों पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन का आक्षेप किया है, जिसके संबंध में बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज भी पेश किए गए हैं, जिसमें आरोपिया सुधा रावत के देवर कल्याण रावत को ब0सा0-03 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसमें रंजिश के बिन्दु को उसने दृढ़ता पूर्वक बताया है, तथा प्र0डी0-02 लगायत प्र0डी0-08 के दस्तावेज पेश किए हैं, जिसके संबंध में जाचकर्ता एस डी ओ एस के दुबे अ0सा0-04 ने पैरा-14 में स्वीकारोक्ति भी की है, रंजिश के बिन्दु पर फरियादिया श्रीमती ज्योती शर्मा अ0सा0-06 के प्रतिपरीक्षण में विस्तृत रूप से सुझावों के माध्यम से तथ्य रखे गए हैं, जिनसे यह तो प्रकट होता है, कि आरोपी पक्ष एवं फरियादी पक्ष के मध्य घटना के पूर्व से राजनैतिक प्रतिद्वंद्वता एवं रंजिश थी, क्योंकि इस घटना के पूर्व फरियादिया की सरपंच सुधा रावत उसके देवर कल्याण रावत, नंदकिशोर, नंदकिशोर के परिजनों द्वारा शिकायतें की जाती रही जिनकी जांच भी होती रही हालांकि उन जाचों में ज्योती ने स्वयं को निर्दोष होना बताया है, किंतु इस बात को स्वीकार किया है, कि आरोपिया सुधा रावत सरपंच की शिकायत पर से ही वह निलंबित हुई थी, उसने अपनी पदस्थापना के दौरान वर्ष 2011 में निलंबित होना और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वर्ष 2014 में बहाल होना स्वीकार किया है, यह भी स्वीकार किया है, कि निलंबन पश्चात उसकी ग्राम पंचायत बिरखडी में

पदस्थापना नहीं हुई, ऐसे में रंजिश के बिन्दु का उत्पन्न होना देखते हुए अ0सा0-06 एवं अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा।

**27.** ज्योती शर्मा अ0सा0-06 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह तो स्वीकार किया है, कि दिनांक 18/03/10 को ग्राम बिरखडी में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर का भी उपस्थित होना था, किंतु कलेक्टर का आना अचानक स्थगित हो गया था, बाकी अधिकारी आए थे, जैसा कि पैरा-34 में उसने स्वीकार किया है, ऐसे में जिला स्तरीय शिविर को देखते हुए जिसमें जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों, ग्रामीण जनों, पंचायत के पदाधिकारियों और सदस्यगणों का आम जनता के साथ उपस्थिति रहना हो, ऐसे शिविर में बैठक व्यवस्था जल, विद्युत, छाया आदि की व्यवस्था की सामग्री का टूसीटर से ले जाया जाना स्वभाविक रूप से संभव नहीं है, जैसा कि फरियादिया ने बताया है, किंतु उसका खण्डन संबंधित टूसीटर वाले निसार खां ने किया है, इसलिए टूसीटर से सामान पहुंचाने के संबंध में फरियादिया की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

**28.** ज्योती शर्मा अ0सा0-06 ने यह भी बताया है, कि सरपंच सुधा रावत द्वारा 10,000/-रुपए अग्रिम राशि के रूप में पंचायत के बैंक खाते से आहरित किए गए थे, किंतु उसके संबंध में कैशबुक आर्टिकल B में कोई प्रविष्टि नहीं है, और किस खाते से निकाले गए इसके संबंध में दस्तावेजी प्रमाण एस0डी0एम0 की जांच में संकलित नहीं है, हालांकि प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट साथ संलग्न दस्तावेज में क्रमांक 11 पर सुधा रावत द्वारा प्राप्त 10,000/-रुपए अग्रिम की सत्यप्रतिलिपि होना बताया गया है, जो कि अभिलेख पर संलग्न नहीं है, आर्टिकल A के रूप में 10,000/-रुपए का खर्चा बाउचर अवश्य संकलित किया है, किंतु आर्टिकल A को हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच में शामिल नहीं किया है, जबकि उस पर भी आरापिया सुधा रावत के रशीदी टिकट पर हस्ताक्षर सरपंच की हैसियत से उल्लेखित है, फरियादिया के पैरा-31 मुताबिक शिविर के कार्यक्रम से सात-आठ दिन पहले टेंट हाउस और माइक का सामान बुक नहीं किया गया था, क्योंकि शिविर की सूचना ही 14-15 मार्च को आई थी, निर्विवादित रूप से शिविर 18 मार्च 2010 को आयोजित हुआ था, ऐसे में 1900/-रुपए का आर्टिकल F का बाउचर इससे भी संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि वह 12/13/10 को तैयार किया हुआ है, जबकि उक्त दिनांक को तो शिविर की सूचना ही स्वयं फरियादिया के मुताबिक नहीं आई थी, ऐसे में बचाव पक्ष का यह आक्षेप कि आर्टिकल F का बाउचर बाद में फरियादिया और जांचकर्ता द्वारा टेंट हाउस वाले से विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए ले लिया गया उसे बल प्राप्त होता है, क्योंकि टेंट हाउस वाला कैलाश अ0सा0-07 भी ऐसा बताता है, और वह आर्टिकल H के बिल का वास्तविक बताता है, यह भी संदेह को जन्म देता है।

**29.** ज्योती शर्मा अ0सा0-06 के द्वारा शिविर की व्यवस्था में 15X30 की पंडाल 30 डल्लम की कुर्सी, 70 फाईबर की कुर्सी, कुछ टेबिल, सफेदी, एक माइक सेट का ही उपयोग होना बताया गया है, जिसका कुल खर्चा 2600/-रुपए हुआ था और आर्टिकल A का 10,000/-रुपए का खर्चा बाउचर फर्जी उसके द्वारा बताया गया है, जिसके संबंध में वह यह भी कहती है,



कि उसने सरपंच सुधा रावत से सही बिल बाउचर देने की मांग की थी, जो सुधा रावत ने नहीं दिए, अभिलेख पर इस संबंध में फरियादिया द्वारा आरोपिया सरपंच सुधा रावत को प्र०पी०-10 का पत्र देना बताया है, जिसमें उसने निजी स्तर पर बिल बाउचरों की जांच कर उन्हें फर्जी मानते हुए, सही बिल देने के लिए लिखा था और रामेन्द्र द्वारा फर्जी बाउचर बनाया जाना कहा था, जिसका उसके पास कोई प्रमाण उसके अभिसाक्ष्य मुताबिक नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं बाउचर बनाते नहीं देखा, किस आधार पर उसे जानकारी हुई, यह भी स्पष्ट नहीं किया है, उसने केवल एक आशंका व्यक्त अवश्य की है, लेकिन आशंका यर्थात् के कितने करीब है, यह विचार करने की आवश्यकता अवश्य है।

**30.** अ०सा०-06 ने अपने अभिसाक्ष्य में बहाल होने के पश्चात कमिश्नर के आदेश से ग्राम पंचायत बिरखडी के सचिव पद पर सियाशरण की पदस्थापना होना और उसे चार्ज देना पैरा-15 में बताया है, इन्द्र आवास योजना के संबंध में कल्लू रावत की शिकायत होने, उस पर से जांच होना, जांच पश्चात अनुदान राशि वापिस जमा करने का स्वीकारोक्ति उसने की है, हालांकि वह अनुदान राशि कल्लू से राशि प्राप्त कर जमा करना कहती है, जो दूसरी किश्त की थी, उसके पैरा-07 लगायत पैरा-18 एवं पैरा-35 लगायत पैरा-37 तक में पूर्व शिकायतों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं, 10,000/-रुपए की राशि आहरण के संबंध में पैरा-21 में उसने आयोजन से तीन-चार दिन पहले 10,000/-रुपए पंचायत के बैंक खाते से ठहराव के माध्यम से निकाला जाना बताया है और यह भी स्वीकार किया है, कि विशेष परिस्थितियों में सी०ई०ओ० के आदेश से पैसे निकाले जाते हैं, वह अपने अभिसाक्ष्य में जिस दिन पैसे निकाले गए उसी दिन सरपंच सुधा रावत के साथ जाकर टेंट व माइकसेट बुक करना बताती है और एडवांस देना भी कहती है, जो सरपंच द्वारा दिया गया, इससे भी दिनांक 12/03/10 का आर्टिकल F का बिल बाउचर वास्तविक होने पर संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि आर्टिकल F में किसी सामान की दर का उल्लेख नहीं है, कौनसा सामान किस दर से बुक हुआ यह फरियादी ज्योती शर्मा को भी याद नहीं है, जैसा कि वह पैरा-23 में स्वीकार करती है।

**31.** 10,000/-की अग्रिम आहरण की राशि पैरा-23 मुताबिक एस०बी०आई० मौ रोड गोहद से निकाली गई थी, और पैरा-42 में वह सेंट्रल बैंक से उक्त राशि निकाली जाना कहती है, कब निकाली गई, यह भी उसे याद नहीं है, उसने यह स्वीकार किया है, कि पंचायत का खाता सचिव और सरपंच संयुक्त रहता है और प्राप्त होने वाली शासकीय राशि और निकाली जानी वाली राशि दोनों के हस्ताक्षरों से जमा और निकाली जाती है, जैसा कि पद-20 में उसने स्वीकार किया है, राशि खर्च करने का अधिकार केवल सरपंच को बताया है और सरपंच द्वारा सचिव को पैसा देने पर सचिक व्यवस्थाएं करता है, उक्त मामले में 10,000/-रुपए की राशि का आहरण ठहराव प्रस्ताव से हुआ या सी०ई०ओ० के आदेश से हुआ, इस बारे में स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है, जबकि फरियादिया पंचायत के कार्यों के लिए सचिव, सरपंच दोनों का ही संयुक्त रूप से उत्तरदायी होने की जानकारी रखती है, विवादित शिविर में पूरे समय प्रारंभ से लेकर शिविर समाप्ति तक मौजूद रहना वह पैरा-37 में बताती है, किंतु उसकी उपस्थिति का दस्तावेज नहीं है।

**32.** ज्योती शर्मा अ0सा0-06 द्वारा प्र0पी0-09 की शिकायत एस0डी0एम0 गोहद को देना और सुधा रावत से सही बाउचर के संबंध में प्र0पी0-10 का पत्र देना बताया है, सुधा रावत द्वारा सही बिल न देने पर एस0डी0एम0 को शिकायत करना कहा गया है, सी0ई0ओ0 को शिकायत न करने के संबंध उसका यह स्पष्टीकरण आया है, कि तहसील के प्रशासनिक अधिकारी राजस्व विभाग के एस0डी0एम0 होते हैं, इस नाते उन्हें यह शिकायत की गई थी, जनपद में नहीं की गई थी, जैसा कि पैरा-36 में उसने बताया है, इस आधार पर शिकायत करने के संबंध में बचाव पक्ष की यह दलील कि मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के प्रावधानों के तहत संपरीक्षक को ही गोपनीय रूप से जांच कर कलेक्टर को रिपोर्ट करने का, नियम 11 में प्रावधान है, जिला पंचायत अधिकारी के मामले में संचालक पंचायत तथा संभाग आयुक्त को रिपोर्ट करने का प्रावधान है, इस आधार पर मामले के संज्ञान को भी चुनौती बचाव पक्ष द्वारा दी गई है, किंतु न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान के बाबत वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उक्त प्रावधान के आधार पर चुनौती को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है और इस संबंध में जांचकर्ता एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे अ0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-06 एवं पैरा-07 में स्थिति स्पष्ट की है, कि ख्याना संबंधी मामला था और पंचायत के धन के दुरुपयोग का मामला था, इसलिए पुलिस कार्यवाही की गई थी, ऐसे में संज्ञान संबंधी बिन्दु अब बेबुनियाद हो जाता है और इस पर विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

**33.** प्रकरण में प्र0पी0-09 शिकायती आवेदन, जिस पर से एस0डी0एम0 द्वारा जांच कर प्र0पी0-04 का जांच प्रतिवेदन दिया गया जिस पर से प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 हुई, उसकी विश्वसनीयता पर विचार होना है, जो कूटरचित बाउचरों पर आधारित है, प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट को लेकर फरियदिया ज्योती शर्मा अ0सा0-06 थाने पर रिपोर्ट करने गई थी, हालांकि प्र0पी0-04 में प्रतिलिपि क्रमांक-04 के रूप में जो उल्लेख है उससे ज्योती शर्मा का रिपोर्ट को जाना तो अधिकार विहीन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एस0डी0एम0 के आदेश का उसने अनुसरण किया, इसलिए रिपोर्ट कराने के बिन्दु पर कण्डिका-37 में आए तथ्यों का कोई विधिक मूल्य अवश्य नहीं है, मूलतः आरोप टेंट, माइकसेट, जनरेटर और भाडे के बाउचरों आर्टिकल **F, H, और I एवं J** पर आधारित है, इसलिए उन्हीं के संबंध में आई साक्ष्य पर ही विचार करने की आवश्यकता है, इस संबंध में केशबुक रोकडबही आदि में इंद्राज नहीं है, जिसके संबंध में अ0सा0-06 ने पैरा-27 में यह स्पष्टीकरण दिया है, कि जब खर्चा बाउचर मिलते हैं, तब खर्चा डाला जाता है, और चूंकि सचिव द्वारा बाउचरों को सही नहीं माना गया, ऐसे में रोकडबही आदि में प्रविष्टि का न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता है, किंतु जो आक्षेप किए हैं, उनकी प्रमाणिकता संदेह के परे प्रमाणित होना आवश्यक है।

**34.** आरोपी नंदकिशोर का सरपंच के साथ ग्राम पंचायत की मीटिंग में हमेशा आने और एस0डी0एम0 द्वारा उसे मीटिंग में उपस्थित न रहने संबंधी हिदायत देने का कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है, बल्कि फरियादी ज्योती शर्मा का सचिव की हैसियत से आर्टिकल **D** मुताबिक दिनांक 03/02/10 को

मीटिंग छोड़कर चले जाने संबंधी पंचनामा है, आर्टिकल E दिनांक 02/11/11 को सचिव के ग्राम पंचायत की मीटिंग में अनुपस्थित रहने संबंधी पंचनामा अवश्य है, जो इस बात को इंगित करता है, कि सरपंच और सचिव के मध्य तालमेल का अभाव प्रारंभ से रहा, चूंकि राजनितिक प्रतिद्वंदता भी आई है, ऐसे में फरियादिया के अभिसाक्ष्य में जो अन्य तथ्य प्रकट हुए हैं, उससे भी कथानक में आए आक्षेपों पर संदेह प्रकट होता है, क्योंकि पैरा-38 में फरियादिया ने यह स्वीकार किया है, कि सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत द्वारा दिनांक 15/06/10 को हिसाब सामायोजन बाबत पत्र दिया गया था, या नहीं, दिखाए जाने पर भी उसे याद नहीं आ रहा है, जबकि अभिलेख पर आर्टिकल G के रूप में हिसाब सामायोजन संबंधी सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत द्वारा दिया गया पत्र अभिलेख पर है, जो आरोपिया सरपंच सुधा रावत द्वारा सी0ई0ओ0 को दिनांक 14/06/10 को लिखा गया था, जिसमें उसने छाया, पानी, टेंट, माइक, जनरेटर की व्यवस्था में खर्च राशि के बाउचर सामायोजन किए जाने हेतु लिखा गया था, जिस पर सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत गोहद द्वारा कोई आपत्ति की गई हो, ऐसा अभिलेख पर कहीं भी नहीं आया है, जबकि उक्त बाउचर के संबंध में सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत सक्षम अधिकारी जांच संबंधी था।

**35.** जांच के बिन्दु पर एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे0 अ0सा0-04 की साक्ष्य को देखा जाए तो अ0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में अपनी जांच एक पक्षीय रूप से करना पैरा-07 में स्वीकार की है, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया, या नहीं, इस बारे में पैरा-06 में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए तथ्यों पर आधारित जांच करना कहा है, और पैरा-09 में इस बात की स्वीकारोक्ति की है, कि उसने कैलाश एवं उसके लडके और हरजीत से कोई बिल जब्त नहीं किए थे, ज्योती शर्मा की शिकायत की जांच के दौरान कोई बिल उसके समक्ष न तो ज्योती द्वारा प्रस्तुत किए गए, न कैलाश, हरजीत से प्रस्तुत किए, थाने पर किए होंगे, कथन में फर्जी बिल होने की बात आई थी, पैरा-10 में स्वीकार किया है, कि जांच के दौरान उक्त फर्जी बिलों को उसने नहीं देखा था, जबकि प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट जो दो पृष्ठ में है, उसे देखा जाए तो संलग्न दस्तावेजों में आरोपिया सुधा रावत द्वारा सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत को लिखा गया बिल सामायोजन का बिल प्रश्नगत बिल बताया गया है, वास्तविक बिल, सचिव के जबाब, सचिव द्वारा सरपंच को लिखा गया पत्र, कैलाश, हरजीत, ज्योती के कथन, 10,000/-रुपए की राशि की अग्रिम प्राप्ति की सत्यप्रतिलिपि को जांच का भाग बनाया गया है जो कहाँ से आए इस बारे में अ0सा0-04 का अभिसाक्ष्य विरोधाभासी है, जबकि जांच रिपोर्ट उन्हीं बिलों पर आधारित है, ऐसे में एस0डी0ओ0 एस0के0 दुबे की जांच रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होना जो बताया गया है, उनकी पुष्टि उनके ही अभिसाक्ष्य से नहीं होती है, कैलाश के जांच कथन मुताबिक कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान का बिल उसके हस्ताक्षर करा के कोरा ले गया था, और हरजीत के प्र0पी0-06 के कथन मुताबिक नंदकिशोर उससे हस्ताक्षर कराके बिल ले गया, जिसे रामेन्द्र द्वारा कूटरचित करना कहा गया, जिसका साक्ष्य में सर्वथा अभाव है, ऐसे में कूटरचित बिल जांच में शामिल होना ही परिलक्षित नहीं होता है, जिससे जांच रिपोर्ट को सृष्ट नहीं माना जा सकता, जो की अपराध पंजीयन का आधार बनी है, और कूट रचित बताए गए बिल, बाउचर किसके द्वारा जांच में दिए गए इस बारे में विरोधाभासी स्थिति

उत्पन्न होने से संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

**36.** श्रीमती ज्योति अ०सा०-6 ने पैरा-24 में यह स्वीकार किया है कि रोकडवही सचिव रहने तक उसके पास रही थी और रोकडवही में राशि के आहरण का इन्द्राज का दायित्व सचिव का होता है। आर्टिकल **B** की लेखापुस्तिका में पृष्ठ क्र०-1 की पृविष्टि रामेन्द्र शर्मा की हस्तलिपि में उसने बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया है कि उस समय उसकी नई पदस्थापना थी, इसलिये रामेन्द्र की सहायता पूर्व सचिव के नाते उसने लेना भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। ऐसे में रामेन्द्र के हस्तलेख की जांच अत्यंत आवश्यक थी। जिसका प्रकरण में अभाव है। जो समन्वय की हैसियत से प्रविष्टियां करना बताया गया है। आर्टिकल **F** के बिल के संबंध में पैरा-32 में उसने बिल दिखाये जाने पर भी अनभिज्ञता प्रकट की है कि उसने जांच के दौरान एस०डी०एम० को दिया था या नहीं यह उसे याद नहीं है। और पैरा-37 में उसका यह कहना रहा है कि एस०डी०एम० व पुलिस को बयान देते समय टेंट का सामान उसके व सुधा रावत द्वारा बुक कराया जाना, सरपंच सुधा रावत के रसीद पर हस्ताक्षर होना बताया था लेकिन रसीद पुलिस ने उससे जब्त की या नहीं यह भी उसे याद नहीं है। पैरा-38 में उसके मुताबिक यह भी याद नहीं है कि सुधा रावत द्वारा दस हजार रुपये का कैशबुक में इन्द्राज न करने व हिसाब समायोजन के संबंध में सी०ई०ओ० जनपद पंचायत गोहद को शिकायत की गयी थी या नहीं। शिविर में कितने लोग उपस्थित हुए यह अंदाज से भी उसने बताने में पैरा-39 में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए चाय नाश्ते की व्यवस्था पंचायत की ओर से न होना कहा है।

**37.** अ०सा०-6 ने प्र०पी०-9 की लिखित शिकायत अपनी हस्तलिपि में पैरा-40 में बतायी है और यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-9 पर दिनांक, जावक क्रमांक का उल्लेख नहीं है। तथा पृष्ठ भाग में प्रति उसके हस्तलेख में सी०ई०ओ० जनपद पंचायत का उल्लेख नहीं किया है, किसने किया है यह उसको जानकारी नहीं है। रिपोर्ट करने के लिए एस०डी०एम० के मौखिक निर्देश पर जाना बताया है। पैरा-41 में यह स्वीकार किया है कि दि०-1/4/2009 से 31/3/2010 तक पंचायत में जो भी रूपया आया और खर्च हुआ उसका लेखा जोखा था। जबकि आर्टिकल **B** की लेखा पुस्तिका में अवलोकन करने पर नहीं है। क्योंकि यदि उक्त अवधि का लेखा जोखा होता तो फिर उसमें शिविर की दि०-18/3/2010 की पृविष्टि होना चाहिये थी जिसका भी अभाव है।

**38.** अ०सा०-6 से प्रश्नोत्तर में लिये गये स्पष्टीकरण में उसने प्र०पी०-1 के जब्ती पत्रक मुताबिक आहरण संबंधी पंजियों को सुधा रावत के हस्ताक्षरों के मिलान के लिए पुलिस द्वारा लेना बताया है। पैरा-43 में उसने उसकी व एस०डी०एम० एस०के० दुबे की सरपंच सुधा रावत द्वारा की गयी शिकायतों पर से झूठा अपराध पंजीबद्ध कराये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से फरियादिया ज्योति शर्मा द्वारा जो अभिसाक्ष्य न्यायालय में दिया गया उससे प्र०पी०-09 की लेखीय शिकायत जिसपर से एस०डी०एम० दुबे द्वारा जांच कर प्र०पी०-4 का प्रतिवेदन दिया गया उसके तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है बल्कि उनका खण्डन ही हो रहा है। क्योंकि टेंट हाउस व माइक सेट की बुकिंग के



लिए सरपंच सुधा रावत के साथ वह जाना बताती है, दूसरी ओर जो कोरे बिल हस्ताक्षर कराके कैलाश और हरजीत के लिये जाना बताये उन्हें नंदकिशोर के द्वारा लेना, रामेन्द्र द्वारा तैयार करना कहा है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ऐसे में जबकि जिस टूसीटर से सामान जाना बताया है उसका खण्डन ऊपर साक्ष्य अनुसार हो चुका है। ऐसे में प्र०पी०-९ की शिकायत को सुदृण नहीं माना जा सकता है, जिसे ही आधार मानकर प्र०पी०-४ की जांच रिपोर्ट एस०डी०एम० द्वारा तैयार की गयी थी। ऐसे में दस्तावेज की कूट रचना जोकि पूरे मामले का सारभूत तथ्य है उसके बाबत विश्वसनीय साक्ष्य का प्रकरण में अभाव है। जो तथ्य अ०सा०-६ के अभिसाक्ष्य से प्रकट हुए हैं उससे पूर्व की राजनैतिक प्रतिद्वंद्वता व पूर्व की शिकायतों को लेकर आरोपी पक्ष की फरियादिया पक्ष से बुराई का ही उक्त प्रकरण परिणाम प्रतीत होता है। ऐसे में अ०सा०-६ की अभिसाक्ष्य को जिसमें कि महत्वपूर्ण तथ्यों का उसकी अभिसाक्ष्य से खण्डन हो रहा है उसे विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता है। ना ही प्र०पी०-९ को अ०सा०-६ की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित माना जा सकता है।

**39.** आपराधिक न्यास भंग के विषय में भादवि की धारा-405 में यह उपबंधित किया गया है कि- जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह 'आपराधिक न्यासभंग' करता है।

**स्पष्टीकरण:- 1-** जो व्यक्ति किसी स्थान का नियोजक होते हुए चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा-17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिये कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किये गये अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जावेगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।

**स्पष्टीकरण:- 2** जो व्यक्ति नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिये कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से कर्मचारी-अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जावेगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जावेगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से

उपयोग किया है।

धारा-405 भादवि के निम्न अनिवार्य संघटक हैं:-

1. अभियुक्त की संपत्ति को न्यस्त किया जाना या उस संपत्ति पर अख्त्यार (डोमिनियन) होना,  
(क) अभियुक्त द्वारा ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग करना या उसका अपने उपयोग के लिये संपरिवर्तित करना, या  
(ख) अभियुक्त द्वारा ऐसी संपत्ति को विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, जिसके द्वारा ऐसे न्यास का निर्वहन किया जाना था, उसका अतिक्रमण करके बेईमानी से ऐसी संपत्ति का उपयोग या व्ययन (डिस्पोजल) करना,  
(ग) अभियुक्त द्वारा ऐसी संपत्ति के बारे में किये गये अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिलंघन करके बेईमानी से ऐसी संपत्ति का उपयोग या व्ययन (डिस्पोजल) करना या,  
(घ) जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करना, तथा
2. अभियुक्त द्वारा संपत्ति का ऐसा दुर्विनियोग या उपयोग या व्ययन बेईमानी से किया जाना या जान-बूझकर ऐसा सहन करना।

**40.** उक्त विधिक स्थिति के संदर्भ में एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे अ0सा0-4 के द्वारा प्र0पी0-9 पर आधारित की गयी जांच को देखा जाये तो उसके संबंध में उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि अप्रैल से नवंबर 2010 की अवधि में एस0डी0एम0 गोहद के पद पर पदस्थ रहने के दौरान ग्राम पंचायत बिरखडी की सरपंच ज्योति शर्मा के द्वारा सरपंच सुधा रावत के विरुद्ध फर्जी बिल बनाकर पैसा खयानत करने के संबंध में शिकायत की गयी थी जिसपर से उसने जांच की थी जांच में टेंट हाउस के मालिक कैलाश को बुलाकर उसका बयान लिया था जिसमें उसने लोक कल्याण शिविर के लिए टेंट का सामान 1900/-रुपये में तय करना बताया था, नंदकिशोर के द्वारा कोरे बिल पर हस्ताक्षर कराकर ले जाना कहा था। जिसके आधार पर उसने आर्टिकल H के बिल को फर्जी माना किन्तु स्वयं कैलाश ने उक्त साक्षी का समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-5 के जांच कथन पर एस0डी0एम0 के दवाब में हस्ताक्षर करना बताये हैं। प्र0पी0-5 में भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि बिल नंदकिशोर हस्ताक्षर कराकर ले गया हो बल्कि अपरिचित व्यक्ति के द्वारा कोरे बिल पर हस्ताक्षर कराकर ले जाना जांच कथन में आया था नंदकिशोर का कोई नाम नहीं आया। और नंदकिशोर को हस्ताक्षर युक्त कोरे बिल ले जाने के आधार पर ही अभियोजित करना उक्त साक्षी पैरा-16 में बताता है और विवेचक अ0सा0-12 ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया। वह भी एस0डी0एम0 का दवाब बताता है ऐसे में जांच रिपोर्ट निश्चित तौर पर दूषित हो जाती है।

**41.** अ0सा0-4 ने प्रीतम टेंट हाउस के मालिक हरदीप का भी जांच में बयान लेना बताया है जिसमें माइक सेट 700/-रुपये में तय होना जनरेटर उसके पास न होना व न भेजना व बिल में उसे भी शामिल कर लेने के आधार पर व उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर बिल बना लिये जाने के आधार पर जनरेटर के बिल को कूट रचित जांच में माना किन्तु हरजीत ने अपने अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे का जनरेटर सुधरने गया था, वह उसकी दुकान पर अवश्य नहीं रहता है। जैसा कि ऊपर भी आ चुका है। सामान ढोने के बिल के

बारे में भी ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ऐसे में अ0सा0-4 की जांच रिपोर्ट जहां उसके ही मुताबिक एक पक्षीय रूप से तैयार की गयी है। वह निष्पक्ष जांच की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं मिला। दूसरी ओर जांच के दौरान एस0डी0एम0 द्वारा कोई बिल देखे ही नहीं, केवल कथनों के आधार पर जांच रिपोर्ट को तैयार किया जाना अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से परिलक्षित होता है और उन जांच कथनों में से सर्वाधिक महत्व के साक्षी कैलाश व हरजीत का समर्थन न होना ऊपर ही निष्कर्षित किया जा चुका है ऐसे में प्र0पी0-4 की जांच रिपोर्ट अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती है। क्योंकि प्र0पी0-4 के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए गये उन्हें जांच में उक्त साक्षी के मुताबिक पेश ही नहीं किया है जबकि वे स्वयं एस0डी0एम0 द्वारा संलग्न कर थाना प्रभारी की ओर भेजे गये जिससे भी संदेह उत्पन्न होता है।

**42.** अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य में फरियादी ज्योति शर्मा का तत्समय अविवाहित होना बाद में उसके विवाह में एस0डी0एम0 का अन्य पदस्थापना से आकर शामिल होना हितबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि अ0सा0-4 ने स्वयं भी अपने अभिसाक्ष्य पैरा-4 में स्वीकार किया है तथा फरियादिया के पिता शिवनंदन अ0सा0-1 ने भी स्वीकार किया है। फरियादिया ज्योति शर्मा अवश्य अपने अभिसाक्ष्य में अनभिज्ञता प्रकट करती है जोकि स्वाभाविक है क्योंकि जिस लडकी की शादी है वह वैवाहिक समारोह में कौन कौन आया यह ध्यान नहीं रख सकती है। उक्त साक्षी की फरियादिया से हितबद्धता इस बात से भी प्रकट होती है कि इंद्राआवास योजना की अनुदान राशि के संबंध में भी उसके द्वारा फरियादिया ज्योति शर्मा के संबंध में जांच की गयी थी। और हनुमानजी के मंदिर पर भी संबंधित पक्षों को ले जाना साक्ष्य में आया है जैसा कि शिवनंदन अ0सा0-1 भी स्वीकार करता है तथा अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य में भी आया है और उसके संबंध में प्र0डी0-1 के समाचार पत्र को भी बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया है। हालांकि समाचार पत्र को प्राथमिकता न भी दी जाये तब भी अ0सा0-4 के द्वारा जिस तरह से जांच पूर्ण की गयी वह संदेह उत्पन्न करती है क्योंकि कथनों को ही आधार मान लिया गया। और जांच में टूसीटर वाले का कथन तक जांच अधिकारी ने नहीं लिया। जैसा कि व0सा0-1 के रूप में वह पेश हुआ है। ऐसे में बचाव के लिये गये आधार को ही बल मिलता है। जिससे अ0सा0-4 की जांच दूषित होकर प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है, जो कि प्र0पी0-2 की एफ आई आर का आधार है। ऐसी स्थिति में प्र0पी0-4 की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्र0पी0-2 की एफ0 आई0 आर0 पंजीबद्ध करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी एन0के0 त्रिपाठी अ0सा0-2 की स्थिति औपचारिक साक्षी की हो जाती है जिसके अभिसाक्ष्य से एफ आई आर को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

**43.** इस तरह से एस0के0 दुबे अ0सा0-4 भी विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी का नहीं रह जाता है। जिसके द्वारा प्र0डी0-2 लगायत डी0-8 के दस्तावेजों को दिखाये जाने पर वे कारण बताओ नोटिस के रूप में पूर्व सरपंच ओमप्रकाश शर्मा और सचिव रामेन्द्र (फौत आरोपी) को एक ही दिन में दिये गये थे। जैसा कि पैरा-14 में उसने स्वीकार भी किया है। उक्त साक्षी की हितबद्धता इससे भी प्रकट होती है कि न्यायालय में साक्ष्य वाले दिन भी फरियादिया ज्योति शर्मा का पिता शिवनंदन साथ में आया था, जबकि शिवनंदन प्र0पी0-1 के जब्ती पत्रक का

पंच साक्षी मात्र है। जिसका अभिसाक्ष्य दि०-28/06/2014 को पूर्व में ही हो चुका था। ऐसे में उसका अ०सा०-4 के साथ आना हितवद्धता को ही प्रकट करता है। ऐसे में भी प्र०पी०-04 की जांच रिपोर्ट प्र०पी०-9 के अनुक्रम में ही तैयार की जाना परिलक्षित होती है। इससे भी अ०सा०-4 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाती है।

**44.** जहां तक अनुसंधान के दौरान संकलित दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त राजकीय परीक्षक पी०एच०क्यू० भोपाल आर०पी० पाठक अ०सा०-10 की जांच रिपोर्ट प्र०पी०-11 और उसका कवरिंग लेटर प्र०पी०-12 साक्ष्य में पेश हुए हैं जिनके संबंध में उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में विशेषज्ञ के तौर पर योग्यता व 25 वर्षीय अनुभव के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करना और उसकी 100 प्रतिशत प्रमाणिकता होने वैज्ञानिक कारणों के आधार पर बताया है। उसके अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो उक्त विशेषज्ञ द्वारा प्रश्नगत 6500/-रुपये का **Q-01** से चिन्हित आर्टिकल **H** का बिल माइक सेट व जनरेटर का 2500/-रुपये का प्रश्नगत **Q-02** से चिन्हित आर्टिकल **I** का बिल और भाड़े का ट्रैक्टर ट्रॉली का 1000/-रुपये का **Q-03** से चिन्हित आर्टिकल **J** का बिल की जांच सुधा रावत के वे मानक हस्ताक्षर जो तहसीलदार के समक्ष **S-01** लगायत **s-12** के रूप में 12 पृष्ठों में आर्टिकल **k** के रूप में लिये गये थे और सुधा रावत के पंचायत की लेखा पुस्तिका के स्वाभाविक हस्ताक्षर **N-01** आर्टिकल **B** पर थे एवं उपस्थिति पंजी आर्टिकल **C** के स्वाभाविक हस्ताक्षर **N-02** लगायत **N-04** आर्टिकल **D** और **E** के पंचनामों पर सुधा रावत के स्वाभाविक हस्ताक्षर **N-12, 13** आर्टिकल **L** के पंचनामा के स्वाभाविक हस्ताक्षर, **N 14** और आर्टिकल **M** बैक खाते के लिए भेजे गये नमूना हस्ताक्षर, **N-15** तथा ग्राम पंचायत सम्मेलन के लिए भेजे गये नोटिस पर सुधा रावत के हस्ताक्षर **N-06** लगायत **N-11** चार पृष्ठों में आर्टिकल **O** के रूप में जांच में लेते हुए उसके आधार पर जांच करना बताया है। और जो अभिमत दिया है उसके मुताबिक **N-06** से **N-11** पर जो हस्ताक्षर हैं । वे प्रश्नगत बिल **Q-01** लगायत **Q-03** से मिलना बताये हैं । अर्थात् प्रश्नगत बिलों के हस्ताक्षर सरपंच द्वारा आर्टिकल **O** के सम्मेलन की सूचना के लिए दिये गये सूचनापत्रों से मेल खाते हैं । किन्तु अन्य दस्तावेज जिनमें आर्टिकल **C, D, E, K, L, M** से सुधा रावत के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं। जो हस्ताक्षर **S-01** से **S-05** और **N-12** से **N-15** के रूप में जांच में लिये गये थे।

**45.** प्रकरण में प्रश्नगत बिलों पर सरपंच सुधा रावत ने हस्ताक्षर किए थे इसका विवाद नहीं है, विवाद बिलों में उल्लेखित राशि और शिविर के लिए उपयोग में लाये गये सामान बाबत है। ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर कूट रचित बिलों को तैयार किया जाना नहीं माना जा सकता है क्योंकि आरोपी सुधा रावत के द्वारा प्रश्नगत किए गये बिलों को ही सही बिल होना कहा गया है जिन्हें अभियोजन इस आधार पर कूट रचित होना कहता है कि जो सामान शिविर के लिए उपयोग करना आर्टिकल **H, I, J** के बिलों के माध्यम से बताया गया



वह वास्तव में उपयोग नहीं हुआ, जबकि अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी उससे प्रश्नगत बिलों के सही होने की परिस्थिति प्रकट होती है। और उनके संबंध में महत्वपूर्ण साक्षियों के द्वारा बचाव पक्ष के आधार का समर्थन किया गया है। जो बचाव साक्ष्य पेश की गयी वह भी इसी को इंगित करती है। और उन्हीं बिलों को समायोजन के लिए आरोपिया सुधा रावत के द्वारा सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत गोहद को समायोजन हेतु आर्टिकल G के माध्यम से भेजा गया और सीईओ जनपद पंचायत के द्वारा उसे सचिव की ओर मार्क किया गया जैसा कि आर्टिकल G के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इससे भी बिलों पर सुधा रावत के हस्ताक्षर तो निर्विवादित है। किन्तु उन्हें जिस तरह से कूट रचित बताया गया है उसका बिलों से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा प्रयोजन कर समर्थन नहीं किया है इसलिये उक्त स्थिति में उन्हें कूट रचित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि सुधा रावत द्वारा बिलों के हस्ताक्षरों से इंकार नहीं किया उन्हें सही बिलों के समायोजन हेतु प्रस्तुत किया है। ऐसे में हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट कूट रचना को प्रमाणित करने में सहायक नहीं है क्योंकि बिलों के विवरण किसके द्वारा लिखे गये उस लेख की कोई जांच नहीं हुई है। और रामेन्द्र द्वारा उन्हें तैयार करना कहा गया जिसके लेख को तो जांच में शामिल ही नहीं किया गया। इसलिये अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य से कूट रचना के बिन्दु को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

**46.** बचाव साक्षी के रूप में रामवीर ब0सा0-4 जोकि अन्य पंचायत का सचिव है उसने जिला स्तरीय शिविरों में होने वाले खर्च को 10-11 हजार तक अनुमानित बताया है। किन्तु उसकी साक्ष्य इसलिये महत्व नहीं रखती है क्योंकि शिविर के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं बनाया जा सकता कि किस शिविर में कितने लोग आयेंगे और किस प्रकार की व्यवस्था होगी, यह स्थानीय परिवेश, स्थानीय जनसंख्या, उनकी समस्याओं तथा शिविर में रखे गये ऐजेण्डे और उसमें सहभागी होने वाले अधिकारियों पर निर्भर करता है। इसलिये ब0सा0-4 की साक्ष्य का विधिक मूल्य नहीं माना जा सकता है।

**47.** बी0एल0 बंसल अ0सा0-12 के अभिसाक्ष्य के आधार पर और विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि जो आक्षेप किए गये, उनकी प्रमाणिकता में क्या उसके अभिसाक्ष्य से अभियोजन को बल प्राप्त होता है। इस परिलेख में विवेचक के अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो उसने अपराध पंजीयन पश्चात प्राप्त हुई विवेचना के क्रम में एस0के0 दुबे, ज्योति शर्मा, शिवनंदन शर्मा, कैलाश, हरजीत, रंजीत सिंह के कथन लेना बताया है तथा टेंट हाउस की दुकान से बुकिंग कटटा प्र0पी0-3 मुताबिक जब्त करना कहा है। प्र0पी0-3 की जब्ती का समर्थन आरक्षक राजासिंह अ0सा0-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में किया है, आरोपीगण की प्र0पी0-13 लगायत 15 की गिरफ्तारी के अलावा अनुसंधान के दौरान ग्राम पंचायत बिरखडी की प्रोसीडिंग पंजी प्र0पी0-8 के जब्ती पत्रक मुताबिक जब्त करना बताया है जिसमें रामेन्द्र शर्मा के मासिक भ्रमण, सुधा रावत के द्वारा तैयार पंचनामा का उल्लेख था। प्र0पी0-8 की जब्ती की पुष्टि आरक्षक गुलाबचंद मीणा अ0सा0-5 एवं रंधीरसिंह अ0सा0-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में की है। तथा प्र0पी0-1 मुताबिक पंचायत की रोकड पंजी, खाद्यान्न पंजी, लेखा पुस्तिका, उपस्थिति पंजी आदि को जब्त करना बताया है जिसका समर्थन ज्योति

अ0सा0-6 के अलावा उसके पिता शिवनंदन अ0सा0-1 और आरक्षक ब्रजेन्द्रसिंह अ0सा0-8 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। उक्त जब्तियों के संबंध में प्रकरण में विवाद नहीं है। और दस्तावेजों को लेख हस्ताक्षरों के जांच के संदर्भ में जब्त किया जाना बताया गया है। जैसा कि ज्योति अ0सा0-6 भी स्वीकार करती है। इसलिये उक्त जब्तियों के प्रमाणित होने से कूट रचना का बिन्दु स्थापित नहीं होगा, बल्कि उसके संबंध में दस्तावेजी प्रमाण और प्रत्यक्ष साक्ष्य आधारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य को कड़ी के रूप में जुड़ना आवश्यक है।

**48.** उक्त दृष्टि से विवेचक के अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो विवेचक द्वारा किए गये अनुसंधान में उसने अपनी जांच को आरोपीगण द्वारा 10,000/-रुपये शासकीय राशि, शिविर में कुर्सी, टेबिल, टेंट, जनरेटर, माइक सेट आदि के लिए निकालने और उनका दुरुपयोग किए जाने के विषयांतर्गत आधारित किया था। जैसा कि पैरा-6 में उसका कहना है लेकिन उसने अनुसंधान के दौरान स्वयं जाकर इस बात की जानकारी नहीं ली कि शिविर किस जगह लगाया गया, कितना बड़ा टेंट लगा, कितनी कुर्सी टेबिल लगी, जनरेटर लगा या नहीं लगा, इस बारे में उसने स्वाभाविक साक्षियों व ग्रामीणजन के कथन नहीं लिये। और एस0डी0एम0 की प्र0पी0-4 की जांच रिपोर्ट को आधार मानकर अनुसंधान कर लिया जैसा कि वह पैरा-8 में स्वीकार करता है। उसने पैरा-9 में यह भी स्वीकार किया कि सरपंच के समाज का गांव में केवल एक ही घर था और सरपंच के द्वारा पहले भी सचिव व उसके परिजनों के द्वारा कार्य नहीं करने देने के संबंध में शिकायतें की गयी थीं। वह आर्टिकल H से संबंधित रसीद कटटा विवेचना में जब्त करने से इंकार करता है। जब्त कराने वाले लक्ष्मण का भी उसने कथन नहीं लिया और कैलाश ने उसे शिविर में जो सामान लगाया था उसका 6500/- रुपये का बिल सरपंच से प्राप्त करने की बात बतायी जाना पैरा-10 में कहा है।

**49.** विवेचक ने पैरा-11 में यह भी कहा है कि सचिव ज्योति और एस0डी0एम0 का कहना था कि शिविर में सामान नहीं लगाया गया, जबकि हरजीत ने आर्टिकल I का बिल उसे देना और जनरेटर, माइक सेट टैक्टर से लेकर जाना और 2500 रुपये सुधा से प्राप्त करना बताया था, नेपाल ने टैक्टर टॉली से 1000 रुपये लेकर भाड़ा ले जाना बताया था लेकिन उसने नेपाल का आर्टिकल J के संबंध में कथन नहीं लिया। आर्टिकल B, C, D के दस्तावेज हस्तलेख की जांच हेतु संकलित करना बताये हैं, उसके मुताबिक प्रश्नगत आर्टिकल F का बिल सचिव ज्योति शर्मा द्वारा एस.डी.एम.को दिया गया था। जो उसे एस0डी0ओ0 की जांच रिपोर्ट के साथ मिला था। जबकि एस0डी0ओ0. एस0के0 दुबे अ0सा0-4 उससे इंकार करता है। आर्टिकल F के संबंध में राकेश का कथन उनके अनुसंधान के समय नहीं लिया जैसा कि उसने पैरा-13 में बताया है बल्कि पैरा-14 में वह अभियोजन के मामले को स्वयं ही खण्डित करता है कि टेंट हाउस के मालिक ने उसे यह बताया था कि ज्योति उससे कोरा बिल ले गयी थी। ऐसे में तो अभियोजित किए जाने का आधार ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में विवेचक का अनुसंधान स्थापित विधि के विपरीत हो जाता है। और एस0डी0एम0 का वह अपने ऊपर पुलिस एन्काउटर को लेकर दवाब भी बताता है इससे रिज्यू विवेचना नहीं होना भी स्थापित होता है, जो

अभियोजन के लिए अत्यंत घातक है और ऐसे में अभियोजन का संपूर्ण मामला ही दूषित हो जाता है। विवेचक यदि दवाब में था तो वह विवेचना छोड़ सकता था या उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन कर सकता था किन्तु उसके द्वारा ऐसा न कर गंभीर मामले को देखते हुए खेदजनक होकर भर्त्सना योग्य है, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ही यदि दवाब में कार्य करेंगे तो कानून विधि का शासन नहीं लागू किया जा सकता।

**50.** विवेचक अ0सा0-12 ने पैरा-15 में यहां तक स्वीकार किया है कि अनुसंधान के दौरान शिविर के लिए सुधा रावत द्वारा 10000/-रुपये की अग्रिम धनराशि प्राप्त किए जाने के संबंध में उसे कोई साक्ष्य नहीं मिली थी और अनुसंधान में हरजीत व कैलाश ने ज्योति शर्मा व एस0के0 दुबे एस0डी0ओ0 के कथनों का समर्थन नहीं किया था, ऐसे में सामान ले जाने वाले टूसीटर वाले को अनुसंधान में लेना आवश्यक था, जबकि ऐसा लगता है कि उसे अनावश्यक रूप से छोड़ा गया। ऐसे में उक्त विवेचक की संपूर्ण विवेचना लचर प्रकृति की है और वह अभियोजन के बजाये बचाव पक्ष के सुझावों का समर्थन करता है इससे अभियोजन द्वारा किए गये आक्षेपों का विवेचक के अभिसाक्ष्य से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में विवेचक का अभिसाक्ष्य दूषित प्रकृति का होकर ग्राह्य योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन बिलों को कूट रचित बताया गया उनके संबंध में अन्य टेंट हाउस, माइक सेट, जनरेटर, रखने वालों दुकानदारों से सत्यापन हेतु न तो एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे अ0सा0-4 ने कोई जांच की, ना ही विवेचक ने की। जिससे प्रश्नगत आर्टिकल H के बिल में जो दर उल्लेखित है, उसका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता था जिसका भी प्रकरण में अभाव है।

**51.** न्याय दृष्टांत सुभाष हरनारायण जी0 लड्डा विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 (1) एस0सी0सी0डी0 134 (एस0सी0) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छल, कूटरचना, षडयंत्र जैसे अपराधों के संदर्भ में यह मार्गदर्शित किया गया है कि इस संबंध में संयोजन कारी कडियों को श्रृंखला के रूप में जुड़ना आवश्यक है। अल्प साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

**52.** इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के सूक्ष्मतापूर्वक मूल्यांकन करने पर विचाराधीन आरोपीगण एवं फोट आरोपी रामेन्द्र के द्वारा दिनांक-18/03/2010 को ग्राम बिरखडी में आयोजित जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर की व्यवस्थाओं के लिए छाया, जल, माइकसेट, जनरेटर, कुर्सी टेबिल पंडाल, फर्स, सफेदी आदि के लिए वास्तविक खर्च 2600/-रुपये होने का प्रमाण नहीं है तथा ऐसा भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि टेंट हाउस का सामान मात्र 1900/-रुपये में मय लेबर चार्ज और भाडे के तय हुआ हो और शिविर में जनरेटर नहीं मंगाया गया हो और केवल माइक सेट 700/-रुपये भाडे पर आया हो। तथा आरोपीगण ने आपस में शासकीय राशि बेईमानी से प्राप्त करने के लिए आपस में मिलकर सडयंत्र रचकर आर्टिकल H, I, J को कूटरचित किया। और उन्हें सही होना बताते हुए उपयोग में लाते हुए स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से पेश किया। ऐसे में धारा-420/34, 467/34, 468/34 भा0दं0वि0 के आरोप पूर्णतः संदिग्ध हो जाते हैं।

**53.** जहां तक धारा-409/34 भा0दं0वि0 का आरोप है उसके लिए प्राथमिक शर्त यह है कि आरोप करने वाला या तो लोक सेवक हो या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता की हैसियत रखता हो इस दृष्टि से निर्वाविवादित रूप से आरोपी नंदकिशोर उर्फ चिंपाजी के बारे में यह स्थापित हुआ है कि वह पंचायत में ना तो किसी पद पर है, ना शासकीय सेवक है, केवल सरपंच के साथ रहने के आधार पर और उसके द्वारा ही हस्ताक्षरित टेंट व माइकसेट के कोरे बिल लाये जाने पर से अभियोजित किया गया है। जबकि टेंट का बिल उसके द्वारा लाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ। माइक सेट और जनरेटर के बारे में उसपर आक्षेप न होकर फोटो आरोपी रामेन्द्र पर आक्षेप किया गया था, कि उसने उन्हें कूट रचित तैयार किया जिसमें विचाराधीन आरोपीगण सडयंत्र में शामिल रहे, किन्तु उसकी भी कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं आयी। ऐसे में आरोपी नंदकिशोर उर्फ चिंपाजी के विरुद्ध धारा-409/34 भा.दं.वि.का आरोप भी संदिग्ध हो जाता है।

**54.** जहां तक आरोपिया सुधा रावत का प्रश्न है, वह सरपंच होकर लोक सेवक की श्रेणी में अवश्य आती थी किन्तु उसके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर शासकीय राशि का कोई गबन किया हो इस आशय का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। और पंचायत का कोई ऑडिट नहीं हुआ, ना ही म.प्र. पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के तहत पंचायत के लेखाओं की कोई जांच हुई, ना संपरीक्षक ने कोई गोपनीय रूप से रिपोर्ट दी, जैसा कि उक्त विधि में नियम 11 का उपबंध है। ना ही रामेन्द्र के द्वारा कूटरचना की कोई जांच एस0डी0एम0 एस0के0 दुबे ने करायी, ना ही अनुसंधान अधिकारी ने करायी। जबकि सरपंच सुधा रावत के द्वारा तो जिन बिलों को कूटरचित कहा गया उन्हें सही मानते हुए सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत को समायोजन हेतु भेजे गये। और सी0ई0ओ0. जनपद पंचायत द्वारा कोई आपत्ति ली गयी हो, ऐसा भी प्रमाण नहीं है। ऐसे में शासकीय राशि का आपराधिक न्यास भंग (गबन) लोक सेवक की हैसियत से किए जाने का प्रमाण भी नहीं पाया गया है। जिससे विचाराधीन आरोपी सुधा रावत के विरुद्ध धारा-409/34 भा0दं0वि0 का आरोप भी संदिग्ध हो जाता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध ठकुरी प्रसाद 1989 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-205** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धारा-409 भा0दं0सं0 के संबंध में यह प्रतिपादित किया गया है कि उक्त अपराध न केवल न्यस्त करना आवश्यक है अपितु दुर्विनियोग अथवा अभियुक्त के द्वारा संपत्ति स्वयं के उपयोग हेतु संपरिवर्तित किया जाना भी आवश्यक है। एवं अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध नाथूसिंह 1981 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-234** में धारा-409 भा0दं0सं0 के संबंध में यह भी मागदर्शित किया गया है कि गबन संबंधी दस्तावेज सुदृढ साक्ष्य से यदि साबित न किया गया हो और उसके पेश न होने का कारण भी नहीं बताया गया हो तो मामला नहीं बनेगा। हस्तगत मामले में भी कोई ऐसा अभिलेख जो कूट रचना बेईमानी छल, शासकीय राशि का दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग के संबंध में आरोपीगण के आक्षेप को प्रमाणित करता हो, साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है।

**55.** इस प्रकार से शेष विचाराधीन आरोपीगण नंदकिशोर एवं सुधा



रावत के विरुद्ध अभियोजन विचाराधीन आरोपों को युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है इस कारण आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं । अतः उन्हें संदेह का लाभ देते हुए धारा-420/34, 467/34, 468/34, 409/34 भा0दं0वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

56. आरोपीगण नंदकिशोर एवं सुधा रावत के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।

57. प्रकरण में जप्त संपत्ति उपस्थिति पंजी एवं लेखा पुस्तिका ग्राम पंचायत बिरखडी के वर्तमान सचिव को विधिवत वापिस किए जावें, शेष दस्तावेज अभिलेख के साथ साक्ष्य का अंग होने से संलग्न रहेंगे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा ।

58. आरोपीगण को धारा-428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

59. निर्णय की प्रति डी.एम. भिण्ड को भेजी जावे ।

दिनांक: 16 / 12 / 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड